सत्तर और अस्सी के दशक में
दलित असंतोष के कारण

डॉ0 मो0 मरगूब रज़ा

एक राजनीतिक इकाई के रूप में दलित वर्गों को सबसे पहले 1919 के अधिनियम में स्वीकृति मिली। दरअसल, नवम्बर–दिसम्बर 1917 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के भारत–मंत्री मांटेग्यू के भारत दौरे के समय, दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने पहली बार उनके समक्ष अपनी माँगें रखी थीं। तब अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों में प्रमुख थे–मद्रास प्रेसीडेंसी के अछूतों का संघ पंचम कावली अभिवर्थी–अभिमान संघ मद्रास आदि द्रविड़ जन सभा और बंगाल के अछूतों का संगठन। इन संगठनों ने सरकार से यह अपील की थी कि उन्हें ब्राहम्णवादी जुए में पिसने से बचाया जाए। तब दलित वर्ग मिशन, बंबई की ओर से सर एन जी चंदावरकर ने भी मांटेग्यू से मुलाकात की थी। ज्ञातव्य है कि तब तक भारत के विभिन्न अचलों में दलित वर्गों के संगठन बनने लगे थे। वैसे (संभवतः) दलित वर्गों का सबसे पुराना सामाजिक–राजनीतिक संगठन था 1892 में गठित मद्रास आदि–द्रविड़ जन सभा। दलित वर्गों का पहला सम्मेलन 1910 के मध्य में चिन्दंबरम में आयोजित किया गया था और दूसरा 8 जुलाई, 1911 को मद्रास में।

1918–19 में गठित फ्रंचाइज कमिटी (मताधिकार समिति) ने भी दलित वर्गों के दावों पर विचार किया था। मनोनयन के जरिए नियुक्त कि जानक वाले गैर–सरकारी प्रतिनिधियों की सीटों की संख्या तय करते समय ने ऐसे महत्वपूर्ण वर्गों अथवा हितों के दावों को ध्यान में रखने की बात कही जो चुनाव की व्यावहारिक प्रणाली के जरिए प्रतिनिधित्व पाने की उम्मीद नहीं रखते थे। ऐसे ही समूहों में दलित वर्गों को शामिल करते हुए समिति ने प्रत्येक प्रांतीय परिषद में उनके प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अनुशंसा की थी–मद्रास में दो बंबई, बंगाल, युक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत और बेरार में एक–एक। पंजाब और असम में दलित वर्गों का कोई प्रतिनिधि मनोनीत करने की समिति ने जरूरत महसूस नहीं की थी।